(2020) 13 एस०सी०आर०। 812

सुमेध सिंह सैनी

बनाम

पंजाब राज्य व अन्य

(दाण्डिक अपील सं०– 827/2020) 03 दिसम्बर, 2020)

(अशोक भूषण, आर० शुभम रेड्डी व एम०आर० शाह, जे०जे०)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 438–अग्रिम जमानत–पीड़ित/मृतक के भाई ने 1991 में हुए घटित अपराध के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 364, 201, 344, 219 तथा 120–बी भा०द०सं० के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करायी थी और बाद में दो सह–अभियुक्तों, जिन्हें सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी गई थी, के बयानों के आधार पर दंडनीय अपराध अन्तर्गत धारा 302 भा०द०सं० जोड़ा गया था – अपीलकर्ता ने अपराध अन्तर्गत धारा 302 भा०द०सं० में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था – सत्र न्यायाधीश ने आवेदन को खारिज कर दिया – उच्च न्यायालय ने भी उसके समक्ष प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज कर दिया – तत्काल अपील में, अपीलकर्ता की दलील थी कि वर्तमान एफ.आई.आर तथ्यों के एक ही सेट पर दूसरी एफ.आई.आर होने तथा कथित घटना पर 29 साल की देरी के बाद दर्ज होने के कारण कायम रखने योग्य नहीं है – यह अवधारित किया गया था कि अपीलकर्ता को झूठा फंसाने का पूर्व प्रयास विफल रहा था और समान आरोपों के साथ उसी घटना के लिए समान एफ.आई.आर को दविंदर पाल सिंह भुल्लर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था – आगे यह भी अवधारित किया गया था कि सूचनादाता ने मृतक के पिता को नई कार्यवाही करने हेतु दी गयी स्वतंत्रता पर बहुत अधिक भरोसा किया – हालाँकि, मृतक के पिता ने अपने जीवनकाल के दौरान कोई नई कार्यवाही शुरू नहीं की और वर्तमान एफ.आई.आर दविंदर पाल सिंह भुल्लर के मामले में फैसले के नौ साल बाद और घटना के 29 साल बाद मृतक के भाई द्वारा दर्ज करायी गई थी – अवधारित किया गया : इस तथ्य को ध्यान में

रखते हुए कि आक्षेपित एफ.आई.आर घटना की तारीख से लगभग 29 साल की अवधि के बाद और दविंदर पाल सिंह भुल्लर के मामले में फैसले की तारीख से 9 साल की अवधि के बाद मृतक के भाई द्वारा दर्ज करायी गई थी। कई साल बीत चुके हैं और इस बीच कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं था कि उन्होंने आपराधिक कार्यवाही शुरू करने और/या एफ.आई.आर दर्ज करने के लिए कोई कदम उठाया था, अपीलकर्ता के पक्ष में अग्रिम जमानत पाने योग्य मामला पाया गया। – विवादित एफ.आई.आर को रद्द करने सम्बन्धी लंबित कार्यावाहियों में अभी विचार किया जाना बाकी है कि क्या नई/वर्तमान कार्यवाही कानून में स्वीकार्य है – अपीलकर्ता की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए कि वह कथित घटना तथा 30 वर्षों की सेवा के बाद, पंजाब के पुलिस महानिदेशक के रूप में 2018 में सेवानिवृत्त हुए।

812 सुमेध सिंह सैनी **बनाम** पंजाब राज्य व अन्य

उपरोक्त मामला वर्ष 1991 का था और वर्तमान एफ.आई.आर में भी प्रारंभ में कोई आरोप धारा 302 भा०द०सं० के तहत अपराध का नहीं था और आरोप केवल भा०द०सं०की धारा 364, 201, 344, 330, 219 और 120–बी के तहत अपराधों के लिए थे, जिसके लिए अग्रिम जमानत का आदेश अपीलकर्ता के पक्ष में था और बाद में केवल सरकारी गवाहों के बयानों के आधार पर अपराध अन्तर्गत धारा 302 भा०द०सं० जोड़ा गया। अपीलकर्ता के अग्रिम जमानत का मामला पाया गया।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अवधारित किया:–

1. देविन्दर पाल सिंह भुल्लर के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों और आवेदक (मृतक के पिता), जिन्होंने पूर्व में धारा–482 द०प्र०सं० के तहत याचिका दायर की थी, के पैरा 117 में आरक्षित स्वतंत्रता पर सूचनादाता एवं राज्य द्वारा भरोसा किया गया। हालाँकि, उक्त स्वतंत्रता मृतक के पिता के पक्ष में थी, जिन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे के पहले दौर में द०प्र०सं० की धारा 482 के तहत याचिकाएँ दायर की थीं। इस न्यायालय ने मृतक के पिता के पक्ष में, विशेष रूप से यह देखते हुए कि यदि कानून में अनुमति है, नई कार्यवाही का सहारा लेने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी गयी। मृतक के पिता की मृत्यु वर्ष 2014 में हो गई थी। 2014 तक मृतक के पिता ने कोई नई कार्यवाही शुरू नहीं की थी। देविंदर पाल सिंह भुल्लर के मामले में इस न्यायालय के फैसले की तारीख से 9 साल की अवधि के बाद,

अचानक, अब मृतक का भाई सूचनादाता आया और वर्तमान आपराधिक कार्यवाही शुरू की। इस न्यायालय द्वारा विवादित एफआईआर का निस्तारण करने के लिए लंबित कार्यवाही में अभी भी विचार किया जाना बाकी है कि क्या नई/वर्तमान कार्यवाहियां कानून में स्वीकार्य हैं? [पैरा 8][819–एफ–एच; 820–ए–बी]

2. अपीलकर्ता की प्रतिष्ठा को देखते हुए कि वह 30 साल की सेवा के बाद वर्ष 2018 में पंजाब के पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और कथित घटना वर्ष 1991 की थी और यहां तक कि वर्तमान एफ.आई.आर में भी शुरुआत में धारा302 भा०द०सं के अपराध का कोई आरोप नहीं था और केवल धारा 364, 201, 344, 330, 219 और 120–बी भा०द०सं० के अपराधों का आरोप था। जिस कारण अग्रिम जमानत का आदेश अपीलकर्ता के पक्ष में हुआ था और बाद में सरकारी गवाहों के बयानों के आधार पर ही भा०द०सं० की धारा 302 का अपराध जोड़ा गया था, अपीलकर्ता के अग्रिम जमानत का मामला पाया गया। [पैरा 9] [820–सी–डी]

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टस [2020] 13 एस.सी.आर.

*पंजाब राज्य **बनाम** दविंदर पाल सिंह भुल्लर (2011), 14 एससीसी 770: [2011] 15 एससीआर 540: प्रदीप राम बनाम झारखंड राज्य 2019 (9) स्केल 120: सुशीला अग्रवाल वाईवी। राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2020) 5 एससीसी 1 – संदर्भित।

केस लॉ रेफरेंस [2011] 15 एससीआर 540 पैरा 4.1 में संदर्भित है

2019 (9) स्केल 120 पैरा 4.4 में संदर्भित है

(2020) 5 एससीसी 1 पैरा 4.4 में संदर्भित है

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या–827/2020

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (चण्डीगढ़) द्वारा सीआरएम–एम नंबर 26304/2020 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 08.09.2020 से।

मुकुल रोहतगी, ए–पी.एस. देओल, सिद्धार्थ लूथरा, के.वी. विश्वनाथन, सीनियर अधिवक्तागण, सुश्री मीशा रोहतगी, नकुल मोहता, हिम्मत एस.देओल, जयबीर सेठी, भरत मोंगा, सरतेज सिंह नरूला, कु. दीया सोढ़ी, कु. अनुषा नागराजन, करण भरिहोके। प्रदीप विर्क, अविनाश मेनन, उपस्थित पक्षों के लिए के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय **श्री एम.आर.शाह जे.** द्वारा प्रतिपादित किया गया,

1. अनुमोदन स्वीकृत।

2. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा सीआरएम–एम नंबर 26304/2020 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 08.09.2020 से व्यथित और असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता द्वारा धारा 302 भा०द०सं० के तहत दंडनीय अपराध के लिए पुलिस स्टेशन सिटी मटौर, जिला एस.ए.एस. नगर, मोहाली में दर्ज एफआईआर नंबर 77 दिनांक 06.05.2020 के संबंध में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। जो खारिज कर दिया गया। मूल याचिकाकर्ता– आरोपी ने वर्तमान अपील दायर की है।

3. बलवंत सिंह मुल्तानी (मृतक) के भाई पलविंदर सिंह मुल्तानी ने भा०द०सं० की धारा 364, 201, 344, 219 और 120–बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ पुलिस स्टेशन सिटी मटौर में एफआईआर दर्ज करायी और बाद में भा०द०सं० की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध जोड़ा गया। **सुमेध सिंह सैनी बनाम पंजाब राज्य और अन्य ।**

[एम.आर.शाह. जे.।]

3.1 यह आरोप है कि वर्ष 1991 में सूचनादाता के भाई बलवंत सिंह मुल्तानी को अपीलकर्ता के निर्देशों के तहत काम कर रहे अधिकारियों की एक टीम ने मोहाली में उनके निवास से अवैध रूप से अपहरण कर लिया था और हिरासत में रहते हुए उन्हें गंभीर और अमानवीय रूप से प्रताड़ित किया गया था। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि एक झूठी और मनगढ़ंत एफ.आई.आर संख्या 112/1991 अपीलकर्ता के कहने पर दर्ज की गई होगी,

जिससे पता चलता है कि पीड़ित को कादियान पुलिस स्टेशन लाया गया था, जहां से पीड़ित के भागने का आरोप लगाया गया था।

3.2 एफ.आई.आर संख्या 77 दिनांक 06.05.2020 के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए, अपीलकर्ता ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मोहाली के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जब अपीलकर्ता ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, तो अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर में आरोप केवल धारा 364, 201, 344, 330, 219 और 120–बी भा०द०सं० के तहत दंडनीय अपराधों के लिए थे। दिनांक 11.05.2020 के आदेश द्वारा, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मोहाली ने अपीलकर्ता के पक्ष में अग्रिम जमानत दे दी। इसके बाद चूंकि अपीलकर्ता को आशंका थी कि भा०द०सं की धारा 302 के तहत अपराध जोड़ा जा सकता है, इसलिए उसने धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अग्रिम जमानत हेतु विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मोहाली के समक्ष आवेदन किया। आदेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने भा०द०सं की धारा 302 की बढ़ी हुई धारा के लिए तीन दिन की अग्रिम सूचना के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद एफआईआर नंबर 77 दिनांक 06.05.2020 में तीन सह–अभियुक्त सरकारी गवाह बनना चाहते थे और उन्होंने सीआरपीसी की धारा 306 के तहत माफी देने और उन्हें सरकारी गवाह घोषित करने के लिए विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहाली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। हालाँकि, सभी तीनों आवेदन विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहाली द्वारा दिनांक 07.08.2020 के आदेश द्वारा खारिज कर दिए गए।

हालाँकि, इसके बाद अन्य सह–अभियुक्तों–जागीर सिंह और कुलदीप सिंह द्वारा उन्हें क्षमा प्रदान करने और उन्हें सरकारी गवाह बनने की अनुमति देने सम्बन्धी आवेदनों को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहली ने 18.08.2020 के आदेश द्वारा अनुमति दे दी। इसके बाद जगीर सिंह और कुलदीप सिंह के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), मोहाली द्वारा दर्ज किए गए, जो अपीलकर्ता के खिलाफ थे। उपरोक्त दो सह–अभियुक्तों, जो बाद में सरकारी गवाह बन गए – जागीर सिंह और कुलदीप सिंह के बयानों के आधार पर, एफ.आई.आर संख्या–77 दिनांक 06.05.2020 में भा०द०सं की धारा 302 जोड़ने की मांग करते हुए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी (ड्यूटी मजिस्ट्रेट) के समक्ष एक

आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी (ड्यूटी मजिस्ट्रेट) ने उक्त आवेदन को दिनांक 21.08.2020 को स्वीकार किया और इस प्रकार धारा–302 भा०द०सं जोड़ी गई। **सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टस [2020] 13 एस.सी.आर.**

3.3 इसके बाद अपीलकर्ता ने जमानत आवेदन संख्या 1527/2020 के माध्यम से विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मोहाली के समक्ष भा०द०सं० की धारा 302 के अपराध के लिए अग्रिम जमानत हेतु आवेदन किया। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 01.09.2020 को उक्त आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद अपीलकर्ता ने सीआरएम–एम नंबर 26304/2020 के द्वारा अग्रिम जमानत देने के लिए चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन किया। आक्षेपित निर्णय और आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय ने उक्त अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील प्रस्तुत किया।

4. श्री मुकुल रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलकर्ता–अभियुक्त के लिए उपस्थित हुए, श्री सिद्धार्थ लूथरा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता पंजाब राज्य के लिए उपस्थित हुए और श्री के.वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता, मूल सूचनादाता की ओर से उपस्थित हुए।

4.1 अपीलकर्ता–आरोपी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी द्वारा अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना के समर्थन में कई तर्क दिया।

यह दृढ़तापूर्वक दलील दिया गया कि वर्तमान एफ.आई.आर अपीलकर्ता को परेशान करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से और राज्य की सत्ता में वर्तमान पार्टी के इशारे पर दर्ज की गई है। यह तर्क दिया गया है कि अन्यथा भी वर्तमान एफ.आई.आर समान तथ्यों पर दूसरी एफ.आई.आर होने के कारण कायम रखने योग्य नहीं है और कथित घटना के 29 साल की देरी के बाद दर्ज की गई है। यह तर्क किया गया है कि अपीलकर्ता को झूठा फंसाने का पूर्व प्रयास विफल हो गया था और उसी घटना के लिए एक समान एफआईआर और कुछ इसी तरह के आरोपों को पंजाब राज्य बनाम दविंदर पाल सिंह भुल्लर (2011) 14 एससीसी 770, के मामले में इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।

4.2 आगे यह कथित किया गया है कि सूचनादाता ने नई कार्यवाही दायर करने के लिए बलवंत सिंह मुल्तानी के पिता के पक्ष में आरक्षित स्वतंत्रता पर बहुत अधिक भरोसा किया। यह कथित किया गया है कि हालांकि बलवंत सिंह मुल्तानी के पिता ने अपने जीवनकाल के दौरान कोई नई कार्यवाही शुरू नहीं की और छह साल की अवधि के बाद और बलवंत सिंह मुल्तानी के पिता की मृत्यु के बाद, वर्तमान एफ.आई.आर दविंदर पाल सिंह भुल्लर (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का फैसला आने के 9 साल बाद और घटना के 29 साल बाद और वह भी बलवंत सिंह मुल्तानी के भाई द्वारा वर्तमान राज्य सरकार के राजनीतिक समर्थन से दर्ज की गयी। यह कथित किया गया कि **सुमेध सिंह सैनी बनाम पंजाब राज्य व अन्य** मामले की तरह वर्तमान एफ.आई.आर शुरु में धारा 364, 201, 344 भा०द०सं में दिनांक 06.05.2020 को दर्ज की गयी थी।

[एम.आर. शाह, जे.]

330. भा०द०सं० की धारा 219 और 120–बी। यह कथित किया गया है कि इसके बाद जांच एजेंसी ने गलत इरादे से दो सह–अभियुक्तों पर दबाव डाला और उन्हें सरकारी गवाह बना दिया और अपीलकर्ता के खिलाफ बयान प्राप्त किए और दो सह–अभियुक्तों के बयानों के आधार पर, जो बाद में सरकारी गवाह बन गए है, भा०द०सं० की धारा–302 जोड़ी गई है।

4.3 यह भी कथित किया गया है कि वर्तमान एफ.आई.आर भी एक गंभीर न्यायिक त्रुटि से ग्रस्त है, क्योंकि एफ.आई.आर एस.एस.पी, मोहाली के निर्देश पर मोहाली में दर्ज की गई है, जबकि वास्तव में, शिकायतकर्ता के अनुसार सभी घटनाएं थाना चण्डीगढ़ में घटी थीं। यह कथित किया गया है कि धारा–177 और 178 द०प्र०सं के अनुसार जांच और सुनवाई का सामान्य स्थान वह है, जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध हुआ है। यह कथित किया गया है कि वर्तमान एफ.आई.आर संख्या 77 और इसमें शुरू की गई कार्यवाही प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग, दुर्भावनापूर्ण और पुलिसिंग शक्ति का दुरुपयोग है। यह कथित किया गया है कि अपीलकर्ता ने पहले ही एफ.आई.आर संख्या 77 दिनांक 06.05.2020 को रद्द करने के लिए एक आवेदन किया है, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका इस न्यायालय के समक्ष लंबित है।

4.4 यह भी कथित किया गया है कि अन्यथा भी एफ.आई.आर संख्या 77 दिनांक 06.05.2020 में धारा–302 भा०द०सं० के तहत आरोप जोड़ते समय, **प्रदीप राम बनाम झारखण्ड राज्य, 2019 (9) स्केल 120** के मामले में पारित न्यायालय के निर्णयों के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए और **सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली), (2020) 5 एससीसी 1** में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। यह कथित किया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट, जिसने अभियोजन पक्ष को भा०द०सं० की धारा–302 के तहत दंडनीय अपराध जोड़ने की अनुमति दी थी, द०प्र०सं० के प्रावधानों के तहत पालन की जाने वाली आवश्यक प्रक्रिया से भी अज्ञात है।

4.5 अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलकर्ता जाँच में सहयोग करने के लिए तैयार एवं इच्छुक है, लेकिन इस न्यायालय में लम्बित एफ.आई.आर को रद्द करने की कार्यवाही सम्बन्धी अधिकारों एवं तर्कों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह कथित किया गया है कि अपीलकर्ता एक विशिष्ट सेवा रिकॉर्ड वाला लब्ध प्रतिष्ठित अधिकारी है। श्री रोहतगी द्वारा दुर्भावना, राजनितिक प्रतिशोध और पुलिस उत्पीड़न सम्बन्धी दलीलें भी दी गयीं।

4.6 उपरोक्त दलीलें देते हुए और इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत देने एवं वर्तमान आवेदन स्वीकृत करने की प्रार्थना की गयी।
सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टस [2020] 13 एस.सी.आर.

5. वर्तमान आवेदन का प्रत्यर्थी–राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा और सूचनादाता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के०वी० विश्वनाथन द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। जागीर सिंह ओर कुलदीप सिंह के अन्वेषण को दौरान लिये गये बयानों पर भरोसा करते हुए दृढ़ता से कथित किया गया कि अपीलकर्ता–आरोपी के विरूद्ध धारा–302 भा०द०सं का मामला पाया गया है। यह कथित किया गया कि मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद धारा–302 भा०द०सं का अपराध जोड़ा गया है। यह कथित किया गया है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए विद्वान मजिस्ट्रेट ने धारा–302 भा०द०सं के तहत दण्डनीय अपराध जोड़ने के लिए अभियोजन/जाँच ऐजेंसी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया गया, इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

5.1 अब जहां तक एफ.आई.आर दर्ज करने में देरी का सवाल है, यह कथित किया गया है कि इस न्यायालय के निर्णयों के अनुसार केवल देरी और/या राजनितिक प्रतिशोध, आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, खासकर जब पुलिस अधिकारीयों के खिलाफ सत्ता का दुरूपयोग, पद का दुरुपयोग, अपहरण और उसके बाद निर्दोष व्यक्ति की हत्या जैसे आरोप हैं। यह कथित किया गया है कि अपीलकर्ता से हिरासत में पूछ–ताछ आवश्यक है और सच्चाई सामने आनी चाहिए।

5.2 यह भी कथित किया गया कि वर्तमान एफआईआर को भी अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत की गई दूसरी एफआईआर नहीं कहा जा सकता है। यह कथित किया गया कि वर्तमान आपराधिक कार्यवाही/एफआईआर मृतक के भाई द्वारा की गई है, जिसने अपने भाई को खो दिया और दविंदर पाल सिंह भुल्लर (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा आरक्षित स्वतंत्रता पर विचार किया जा रहा है।

5.3 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा और मूल सूचनादाता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के०वी०विश्वनाथन ने जोर देकर कहा कि अपीलकर्ता एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और इसलिए सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं है।

5.4 उपरोक्त दलीलें देते हुए, वर्तमान आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की गई कि जब विद्वान ट्रायल कोर्ट और साथ ही उच्च न्यायालय दोनों ने अपीलकर्ता के पक्ष में विवेक का प्रयोग करने से इनकार कर दिया है और अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, इस न्यायालय द्वारा उक्त मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। **सुमेध सिंह सैनी बनाम पंजाब राज्य और अन्य**

[एम.आर. शाह, जे.]

6. हमने अपीलकर्ता–अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और मूल सूचनादाता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना।

प्रारंभ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान अपील में एकमात्र प्रश्न जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है वह यह है कि क्या अपीलकर्ता द०प्र०सं की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का हकदार है?

7. अपीलकर्ता–अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा राजनितिक प्रतिशोध, दुर्भावना, एफ.आई.आर में देरी, यहाँ तक कि विवादित एफ.आई.आर की पोषणीयता के सम्बन्ध में कई कथन किये गये। अपीलकर्ता/अभियुक्त द्वारा एफ.आई.आर रद्दीकरण याचिका में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय में लम्बित एफ.आई.आर/दाण्डिक कार्यवाही को रद्द करना आवश्यक है या नहीं। इस न्यायालय के समक्ष सम्बन्धित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण द्वारा किये गये सभी निवेदनों पर विस्तृत विचार करना प्रस्तावित नहीं है। हालाँकि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मृतक के भाई द्वारा घटना की तारीख से लगभग 29 वर्ष की अवधि के बाद और देविन्दर पाल सिंह भुल्लर मामले में इस न्यायालय के फैसले की तारीख से 9 साल की अवधि के बाद आक्षेपित एफ.आई.आर दर्ज की गयी और ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं है कि इस बीच उन्होंने आपराधिक कार्यवाही शुरु करने और/या एफ.आई.आर दर्ज करने के लिए कोई कदम उठाया हो। हमारी राय है कि कम से कम अपीलकर्ता का धारा–438 द०प्र०सं० के तहत अग्रिम जमानत हेतु केस बनता है। कई बार देरी आपराधिक कार्यवाही के लिए घातक नहीं होती है। हालाँकि यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। साथ ही वर्तमान मामले में 29 साल जैसी लम्बी देरी, निश्चित रूप से अग्रिम जमानत देने के लिए वैध आधार हो सकता है।

8. सूचनादाता और राज्य, दविंदर पाल सिंह भुल्लर (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों और आवेदक के लिए पैरा 117 में आरक्षित स्वतंत्रता पर भरोसा कर रहे हैं, जिन्होंने पहले धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर की थी। (मृतक के पिता) यदि कानून में अनुमति हो तो नई कार्यवाही का सहारा लें। हालाँकि, यह कहना पर्याप्त है कि उक्त स्वतंत्रता मृतक के पिता के पक्ष में थी, जिन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी के पहले दौर में (जिससे एसएलपी (आपराधिक) संख्या 6503–6509/2011 उत्पन्न हुआ था) सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिकाएं दायर कीं। इस अदालत ने मृतक के पिता के पक्ष में विशेष रूप से यह देखते हुए कि यदि कानून में अनुमति है तो नई कार्यवाही का सहारा लेने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

[2020] 13 एस.सी.आर. में सन्दर्भित है कि मृतक के पिता की मृत्यु वर्ष 2014 में हुई। 2014 तक मृतक के पिता ने कोई नई कार्यवाही शुरू नहीं की। देविंदर पाल सिंह भुल्लर (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले की तारीख से 9 साल की अवधि के बाद, अब अचानक, मृतक का भाई/सूचनादाता को होश आया और उसने वर्तमान आपराधिक कार्यवाही शुरू की। क्या नई/वर्तमान कार्यवाही कानून में स्वीकार्य है, इस न्यायालय द्वारा विवादित एफआईआर को रद्द करने के लिए लंबित कार्यवाही में अभी भी विचार किया जाना बाकी है।

9. अपीलकर्ता की स्थिति को देखते हुए यह बताया गया है कि वह 30 साल की सेवा के बाद वर्ष 2018 में पंजाब के पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं और कथित घटना वर्ष 1991 की है और यहां तक कि वर्तमान एफ.आई.आर में भी शुरुआत में भा०द०सं० की धारा 302 के तहत अपराध के लिए कोई आरोप नहीं था और आरोप केवल भा०द०सं० की धारा 364, 201, 344, 330, 219 और 120–बी के तहत अपराध के लिए थे, जिसके लिए अग्रिम जमानत का आदेश था। अपीलकर्ता और बाद में केवल मुखबिर जागीर सिंह और कुलदीप सिंह के बयानों के आधार पर भा०द०सं० की धारा–302 का अपराध जोड़ा गया है, हमारी राय है कि अपीलकर्ता का अग्रिम जमानत के लिए मामला बनता है।

10. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताये गए कारणों से, वर्तमान अपील सफल होती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश साथ ही साथ अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा एफ.आई.आर संख्या 77 दिनांकित 06.05.2020 थाना– सिटी मटौर, जिला एस.ए.एस. नगर, मोहाली के सम्बन्ध में धारा–302 भा०द०सं के तहत दण्डनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने सम्बन्धी आदेश को एतद्द्वारा खण्डित एवं रद्द किया जाता है। आदेश दिया गया कि थाना– सिटी मटौर, जिला एस.ए.एस. नगर में दर्ज एफ.आई.आर संख्या 77 दिनांकित 06.05.2020 धारा–302 भा०द०सं के सम्बन्ध में अपीलकर्ता सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी के मामले में जाँच में सहयोग करने की शर्त पर, उसके अधिकारों एवं विवादित एफ.आई.आर रद्द करने की लम्बित कार्यवाही में दलीलों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, उसे 1,00,000/– रु० (केवल एक लाख रू०) के निजी बाण्ड एवं इतनी धनराशि की दो जमानत देने और पासपोर्ट सरेन्डर करने पर जमानत पर रिहा किया जायेगा।

11. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

Translated by :-

(अशोक कुमार-IX)

J.O.ID.No. UP5975

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं०-१, सिद्धार्थनगर